

राजस्थान सरकार  
वित्त(कर)विभाग

क्रमांक प. 7(16)वित्त/कर/2017

दिनांक: 26.02.2018

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971(समय समय पर संशोधित) के अधीन सहायक आयुक्त पद की वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 24.01.2018 में की गई अभिशंषा पर निम्नांकित वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, सहायक आयुक्त के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

वर्ष 2014-15

क्र.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम
1	श्री सांवरमल		श्री बीरबलराम के नीचे व श्री राघवेन्द्र सिंह यादव के ऊपर

साथ ही, श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना का नाम, पद उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2014-15 की चयन सूची में से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2015-16

क्र.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम
1	श्री जितेन्द्र कुमार सक्सेना		श्री नेहनूराम रेगर के नीचे एवं श्री बाबू सिंह के ऊपर

साथ ही, श्री श्रीकृष्ण सान्धु का नाम, पद उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2015-16 की चयन सूची में से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2016-17

क्र.सं	नाम	वर्ग	वरिष्ठता क्रम
1	श्री श्रीकृष्ण सान्धु		कुमारी निशी रानी के ऊपर


वर्ष 2017-18

श्री समीरदान संकरोत का नाम, इनके लिए पद उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2017-18 की चयन सूची में से विलोपित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का भी कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में, आवश्यकतानुसार, आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(प्रवीण गुप्ता)  
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. अध्यक्ष, कर बोर्ड, अजमेर।
8. अति. निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, राज्य कर, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली

*sb*  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर)